रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 1974/ज्येष्ठ 28, 1896

No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 1974/JYAISTHA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th June 1974

SUBJECT.—*Extension of time limit for production of landing certificate under Indo Afghan Trade Arrangement 1972-73.*

No. 86-ITC(PN)/74.—Attention of the Trade is invited to Paragraph 3 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 4-ITC(PN)/74, dated the 8th January 1974, wherein the last date for production of the Landing Certificates in respect of export of items of goods mentioned in Schedule B-1 to the erstwhile Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June 1972, effected after the 31st August, 1973, was extended upto 28th February, 1974.

2. On a review of the position it has been decided to extend the last date for production of the requisite Landing Certificates upto 30th *June* 1974.

3. Exporters/Importers are cautioned that no further extension of time-limit will be allowed under any circumstances, and failure to produce the requisite landing certificates by 30th June 1974 will render them liable to penal action under the Imports & Exports Trade Control/Foreign Exchange orders, rules and regulations.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

विषय.—1972-73 की भारत अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत अवतरण प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण के लिये समय-सीमा की वृद्धि ।

सं० 86—आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—व्यापारी का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 4 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 8 जनवरी 1974 के पैरा 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें 31 अगस्त 1972 के बाद प्रभावित होने वाली विगत विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 93 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 30 जून, 1972 के लिये अनुसूची बी—1 में उल्लिखित माल की मदों के निर्यात के संबंध में अवतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि को 28 फरवरी 1974 तक बढ़ाया गया था ।

2. स्थिति पुरीक्षा कर आवश्यक अवतरण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 30 जून 1974 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है ।

3. निर्यातकों/आयातकों को सावधान किया जाता है कि किसी भी स्थिति में और आगे समय-सीमा में वृद्धि नहीं दी जायेगी, और 30 जून, 1974 तक आवश्यक अवतरण प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर वे आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनिमय आदेश, नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही के लिये योग्य समझे जायेंगे ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974